"जनपद बागपत में दलितों की स्थिति (वर्तमान परिप्रेक्ष्य में)"

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की
इतिहास विषय में

प्रस्तुत शोध सार

शोध निर्देशिका
प्रो० अजय विजय कौर
विभागाध्यक्षा, इतिहास विभाग,
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ

शोधार्थी
सिद्धार्थ शैलत
एम० फिल्, नेट
जे०आर०एफ०
(इतिहास)

इतिहास विभाग,
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ

2021

शोध सार

जिला बागपत उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यह पहले मेरठ का ही एक भाग था। जनपद बागपत में हिन्दू धर्म के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। जो कुल बागपत की जनसंख्या का 70.41 प्रतिशत है। जनपद बागपत में हिन्दू धर्म के लोगों की कुल जनसंख्या 917474 हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दू धर्म को मानने वालो की संख्या 753877 है। जबकि नगरीय क्षेत्रों में यह संख्या 163597 है।

जनपद बागपत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 149060 है। जिसमें पुरुष आबादी 79920 है तथा महिलाओं की संख्या 69140 है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूरे प्रदेश में सबसे कम जनपद बागपत में ही है। अस्पृश्यता से सम्बन्धित निर्योग्यतायें के कारण इनका सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर भी काफी निम्न रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 2000 ई० में 75 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के परिवार भूमिहीन थे।

राजनीतिकरण के कारण दलित अपने निम्न स्तर को ऊँचा उठाने के लिए संगठित हो गये हैं तथा सत्ता संरचना को प्रभावित करने अथवा इस पर प्रभुत्व जमाने के लिए अन्य निम्न जातियों से गठबन्धन करने लगी हैं। इनके परिणामस्वरूप दलित जातियाँ निश्चित रूप से राजनीति के प्रति अधिक जागरूक हैं।

दलितों की स्थिति का ऐतिहासिक विश्लेषण (डॉ० अम्बेडकर के विशेष परिप्रेक्ष्य में) किया गया। दलितों की ऐतिहासिक स्थिति पर दृष्टिपात करते है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दलित प्राचीन काल से ही शोषण का शिकार हुआ है उसे हमेशा मुख्य धारा से काटकर या समाज में नीचले पायदान पर रखा गया है।

इसी प्रकार आधुनिक भारत में भी दलितों की स्थिति को देखा जाए तो 1941 में केन्द्रीय विधान सभा में 141 सदस्य थे। इनमें से 102 सदस्यों का चुनाव किया गया और 39 सदस्य नामांकित थे। नामांकित सदस्यों में अनुसूचित जाति के केवल दो सदस्य थे। ऐसे ही आई0सी0एस0 में 1056 सीटों में अनुसूचित जाति को मात्र 1 सीट प्राप्त थी।

1995–2014 के बीच जातिगत भेदभाव और अत्याचार के 2.43 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। इस हिसाब से साल में औसतन 13,000 मामले बैठे हैं यह तो सिर्फ एक बानगी भर है, क्योंकि इस तरह के सिर्फ गंभीर मामलों ही दर्ज हैं। अनुसूचित जातियों के विरूद्ध किए जाने वाले अपराधों की संख्या घटनाओं के इस

तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि सन् 1955 में पुलिस के पास पंजीकृत किए गए मात्र 180 मामलों की तुलना में यह संख्या सन् 1960 में बढ़कर 509 हो गई, सन् 1991 में 18,336, सन् 1992 में 24,922 सन् 1993 में 24,973, तथा सन् 1994 में 33,908 तक पहुंच गई। हालंकि, सन् 2012 ने गतवर्ष की तुलना में मामूली सी कमी को देखा। सन् 2011 में दर्ज किए गए 33,719 मामलों की तुलना में सन् 2012 में 33,655 मामले दर्ज किए गए थे।

दलितों के उत्थान के लिए प्रयासरत प्रमुख व्यक्तित्व व संस्थाऐं को वर्णन किया गया है जिनमें महत्वपूर्ण है गांधी जी, ज्योतिबा फूले, डॉ० बी० आर० अम्बेडकर।

राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाऐं–

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
3. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को सहायता

राष्ट्रीय स्तर के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर भी व्यक्ति एवं संस्थाओं का दलितों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जो दलित उत्थान के लिए प्रयासरत् है। जनपद बागपत में स्थानीय स्तर पर संस्थाऐं' भी दलित उत्थान के लिए प्रयासरत है। जो निम्न प्रकार है।

1. दलित महासभा 2. अम्बेडकर मिशन प्रचार समिति (पंजी०) 3. भारतीय मजदूर संगठन आदि द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे है।

इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 15(1) में स्पष्ट है कि देश के किसी व्यक्ति के विरूद्ध मात्र जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान, लिंग या इनमें किसी एक आधार पर राज्य किसी प्रकार का भेद–भाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत व अस्पृश्यता को निषिद्ध घोषित कर दिया गया तथा इसका उन्मूलन किया गया। अनुच्छेद 19 में अछूत जातियों की व्यवसायिक निर्योग्यताओं को समाप्त किया गया। अनुच्छेद 25 द्वारा स्पष्ट है कि हिन्दुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थलों के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिए जायें। अनुच्छेद 29 में स्पष्ट व्याख्या है कि किसी भी शिक्षण संस्था जो कि राज्य द्वारा पूर्ण या आंशिक सहायता प्राप्त हो, किसी भी व्यक्ति को जाति, वंश, भाषा या धर्म के आधार पर प्रवेश से नहीं रोकेगी।

अनुच्छेद 19(5) में किसी भी अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक आने–जाने, बसने, सम्पत्ति अर्जित करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 46 में सरकारों को आदेश दिये गये कि वे राज्य के कमजोर वर्गो

(अनुसूचित जाति व जनजाति) की शिक्षा व आर्थिक हितों की रक्षा करें तथा इन्हें सभी प्रकार के शोषण व अन्याय से बचाने हेतु कार्य करें।

दलित उत्थान के लिए सरकारी योजना–

1. बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति।
2. अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति।
3. अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

मनरेगाः

मनरेगा के तहत दिये जाये काम मे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की भागेदारी क्रमशः 20% तथा 17% रही है।

स्टैण्ड–अप इंडिया

देश मे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में उद्यमिता को बढावा देने तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री ने एक भूगान्तर योजना स्टैंड–अप इण्डिया की घोषणा की थी।

बागपत में 1994 से वर्तमान तक समाचार पत्रों व मीडिया के माध्यम से अवलोकन करने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि दलितों पर अत्याचार, शोषण की घटनाएं बढ़ी हैं, दूसरी ओर सरकारी तन्त्र भी इन समस्याओं को दूर करने में असफल रहा है। दलितों के शोषण के लिए यदि सवर्ण समाज दोषी है तो इसके लिए स्वयं दलित भी दोषी हैं।

भारतीय समाज में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ हिस्सा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का है। दलितों को दोहरे शोषण का सामना करना पड़ता है। एक आर्थिक गरीबी का और दूसरा सामाजिक पिछड़ेपन का। इन दोनों से ही दलितों का सांस्कृतिक विकास और चिन्तन का स्तर गिरा हुआ रह जाता है। यह तो सर्वविदित है कि दलितों का शताब्दियों से शोषण हुआ है परन्तु आजादी के बाद से लेकर आज तक दलितों ने भी दलितों का शोषण ही किया है। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर उच्च पद पर विराजमान है उन्हें दलित समाज की तनिक भी चिन्ता नहीं है। यदि कहीं कोई चिन्ता है तो वह भाषणों और सुझावों तक ही सीमित है। वास्तविकता में ये अपने परिवार तक ही सीमित हैं। इन्हें दलित समाज के उत्थान से सम्बन्धित कोई भी कार्य करना बेगार दिखाई देता है।